औरतों की विरासत
(सम्पत्ति में हिस्सा)

कटौली लखनऊ में आयोजित 13वें फ़िक्ही सेमिनार में इस विषय पर ग़ौर हुआ और निम्न प्रस्ताव पास किया गया।

पूरे देश से आए हुए उलमा और फ़ुक़हा धर्मशास्त्री व शरीअत के शोधकर्ताओं का यह सम्मेलन इस बात पर अपनी चिन्ता व्यक्त करता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक महिलाओं के साथ विरासत के बंटवरे में नाइंसाफ़ी हो रही है। राज्य के विरासत से सम्बन्धी क़ानून में कृषि भूमि के बंटवारे में केवल मर्दों को वारिस क़रार दिया गया है और उनकी मौजूदगी में औरतों को इस हक़ से वंचित रखा गया है। यह क़ानून भारत के संविधान और इस्लामी शरीअत के विपरीत है।

यह सेमिनार इस बात पर भी नाराज़गी व्यक्त करता है कि मुस्लिम पर्सनल ला (शरीअत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 ई0 की धारा 2 से कृषि भूमि को निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं शरीअत की तरफ़ से निर्धारित विरासत के हक़ से वंचित हो गयीं हैं।

अतः यह सेमिनार उत्तर प्रदेश ज़मीनदारी एक्ट और शरीअत एक्ट में तुरन्त संशोधन पर ज़ोर देता है, ताकि सामान्यता सभी महिलाओं को और ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित न किया जा सके।

☆☆☆